कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा म.प्र.

(आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 10-10-2012 के 05:00 P.M. तक)

जिला एवं सत्र न्यायालय, रीवा एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय रीवा में आकस्मिकता निधि वेतनभोगी (कलेक्टर रेट से वेतन पाने वाले कंटिजेंसी प्रवर्ग) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन आवश्यक प्रारूप में वांछित सहपत्रो सहित आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र दिये गये प्रारूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा(म.प्र.) को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के कार्यालय में जमा किया जा सकता है अथवा डाक द्वारा प्रेषित किया जा सकता है।

क्र.	पदनाम	वेतनमान	रिक्त पदों की संख्या					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
			अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.	कुल पद	
(ए) पूर्व विज्ञापित पद								
1	भृत्य	कलेक्टर द्वारा समय-समय पर निर्धारित मजदूरी के दर के अनुसार	3 (पुरूष) 1 (महिला) 1 (विकलांग)	1	1	2	9	न्यूनतम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण
(बी) जिला एवं सत्र न्यायालय, रीवा हेतु वर्तमान विज्ञापित पद								
1	भृत्य	उपरोक्तानुसार	2 (पुरूष) 1 (महिला)	1	1	0	5	न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
(सी) प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रीवा हेतु वर्तमान विज्ञापित पद								
1	भृत्य	उपरोक्तानुसार	2	1 (विकलांग)	0	0	3	न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
2	वाहन चालक	उपरोक्तानुसार	1	0	0	0	1	न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं वैद्य हल्का मोटरयान अनुज्ञप्ति
		कुल योग :-	11	3	2	2	18	

नोट :- 1. वर्तमान में आकस्मिकता निधि वेतनभोगी प्रवर्ग के लिये शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठ पास निर्धारित की गई है।

2. जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके है, दुबारा आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

3. पूर्व विज्ञापित पद एवं वर्तमान विज्ञापित पदों का साक्षत्कार एक साथ लिया जावेगा।

4. पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सकती है।

अन्य अर्हताएं एवं जानकारी - 1. दिनांक 01-07-2012 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, उक्त तिथि से अधिकतम आयु सीमा की गणना की जायेगी। 2. आयु सीमा अनारक्षित हेतु 35 वर्ष, आरक्षित वर्ग हेतु 40 वर्ष, अनारक्षित महिला हेतु 35+10=45 वर्ष एवं महिला आरक्षित वर्ग हेतु 35+5+10=50 वर्ष तथा विधवा/परित्यक्ता महिला प्रत्येक वर्ग के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी। 3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र (संलग्न किया जावे)। 4. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम शेक्षणिक योग्यता, उत्तीर्ण होना एवं वाहन चालक पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ वैद्य हल्का मोटरयान अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है तथा साक्षात्कार के समय मूल अंकसूची तथा अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 6.साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को आवागमन व्यय एवं आहार भत्ता देय नहीं होगा। 7. आवेदन पत्र की समस्त पूर्तियाँ स्वयं के स्वच्छ हस्तलिपि में कर, निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कए जावें। अपर्ण अथवा अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र नस्तीबद्ध कर दिए जायेगें, जिन पर कोई पत्राचार

मान्य नहीं होगा। 8. पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। 9. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 10-10-2012 के सायं 05:00 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। 10. आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी को अपना पासपोर्ट साईज का स्वप्रमाणित नवीनतम छायाप्रति चस्पा करना अनिवार्य होगा। 11. स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 5/- रू. का डाक टिकट चस्पा हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। 12. साक्षात्कार की तिथि से अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जायेगा। 13. डाक की त्रूटि से आवेदन पत्र या प्रवेश पत्र न मिलने पर इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 14. दिनांक 26-01-2001 के पश्चात् अभ्यर्थी को 2 से अधिक संतान नहीं है।

: जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म.प्र.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज की सत्यापित फोटो चस्पा करें

प्रति,

श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,

जिला रीवा (म.प्र.)

विषयः- आकस्मिकता निधि वेतनभोगी कर्मचारी/कलेक्टर दर पर रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम ....

2. पिता/पति का नाम ....

3. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता ....
(पिन कोड सहित) ....
....

4. स्थाई पता ....
(पिन कोड सहित) ....
....

5. जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....

6. दिनांक 01-07-2012 की स्थिति में आयु वर्ष .... माह .... दिन ....

7. लिंग (पुरूष/ महिला) ....

8. जाति संवर्ग - सामान्य/अपिव/अजा/अजजा (स्पष्ट उल्लेख करें तथा प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....

9. क्या आप म.प्र. के मूल निवासी है - हॉ/नहीं ....
(प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. वैवाहिक स्थिति - (विवाहित/अविवाहित) ....

11. क्या आवेदिका विधवा/परित्यक्ता/तलकाशुदा है : (हॉ/नहीं) ....

12. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्रतिशत

13. अनुवभव यदि हो तो उल्लेख करें ....
....

14. क्या आपके विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है, यदि हॉ तो संबंधित अधिनियम एवं धारा प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः उल्लेख करें।

15. दिनांक 26-01-2001 के पश्चात् अभ्यर्थी को 2 से अधिक संतान नहीं है।

सत्यापन

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारियां मेरे द्वारा दी गई है वह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है एवं मेरे द्वारा कोई जानकारी छुपाई नहीं गई है। उक्त जानकारियां असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र /अभ्यर्थिता किसी भी प्रक्रम पर निरस्त की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

दिनांक : .... **आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम**

संलग्न :- 1. शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूची की छायाप्रति। 2. वैद्य हल्का मोटरयान अनुज्ञप्ति की छायाप्रति। 3. मूल निवासी का प्रमाण पत्र/ स्थायी जाति प्रमाण पत्र। 4. विधवा/परित्यक्ता/तालकशुदा महिला का प्रमाण पत्र। 5. स्वयं का पता लिखा एवं 5/- रूपये का टिकट लगा एक लिफाफा। 5. अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र (यदि कोई हों)।